"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011— अग्रहायण 4, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शशॉक वीर सिंग आत्मज श्री आर. के. बंजारे , निवासी - एच. आई. जी. 1/42, पुराना बोरसी कालोनी, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. पूर्व में मेरा नाम शशॉक बंजारे था, को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम शशॉक वीर सिंग रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे शशॉक वीर सिंग आत्मज श्री आर. के. बंजारे के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम

शशॉक बंजारे
आत्मज-श्री आर. के. बंजारे
निवासी-एच. आई. जी. 1/42
पुराना बोरसी कालोनी, दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शशॉक वीर सिंग
आत्मज-श्री आर. के. बंजारे
निवासी-एच. आई. जी. 1/42
पुराना बोरसी कालोनी, दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हितेश कुमार ठाकुर आत्मज श्री परमेश्वर सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी - क्वा. नं. ई-594, एचटीपीपी कालोनी, कैलाश विहार, दर्री, कोरबा (पश्चिम) तहसील कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची सह प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम हितेश कुमार आत्मज श्री परमेश्वर सिंह दर्ज है, को परिवर्तित कर मैं अपना वास्तविक नाम हितेश कुमार ठाकुर आत्मज श्री परमेश्वर सिंह दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे हितेश कुमार ठाकुर आत्मज श्री परमेश्वर सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व समस्त अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
हितेश कुमार आत्मज-श्री परमेश्वर सिंह निवासी-क्वा. नं. ई-594 एच टी पी पी कालोनी, कैलाश विहार, दर्री कोरबा (पश्चिम) तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.)	हितेश कुमार ठाकुर आत्मज-श्री परमेश्वर सिंह निवासी-क्वा. नं. ई-594 एच टी पी पी कालोनी, कैलाश विहार, दर्री कोरबा (पश्चिम) तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2011

प्रकरण क्र. 01/ ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /479/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2011.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. जवाहर अग्रवाल पिता स्व. मोतीलाल अग्रवाल, निवासी समता कालोनी रायपुर ने हेलो डॉक्टर क्लब पब्लिक ट्रस्ट, लाईफवर्थ हास्पिटल केम्पस, समता कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर के नाम से छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 12-12-2011 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"हेलो डॉक्टर क्लब पब्लिक ट्रस्ट" लाईफवर्थ हास्पिटल केम्पस, समता कालोनी, रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	7,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08-11-2011 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

प्रारूप क्रमांक-4
[देखिये नियम-5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 2050/प्र. 2/अ. वि. अ./2011.— यतः कि श्री विजय अग्रवाल आ. स्व. श्री रामस्वरूप अग्रवाल, चेयरमेन, निवासी सत्यम् शिवम् सुन्दरम्, दीपक नगर, दुर्ग द्वारा महाराज अग्रसेन वेल्फेयर ट्रस्ट, टोल टैक्स प्लाजा, दुर्ग-राजनांदगांव बाईपास रोड दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 15-11-2011 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	महाराज अग्रसेन वेल्फेयर ट्रस्ट, टोल टैक्स प्लाजा, दुर्ग-राजनांदगांव बाईपास रोड के पास, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग.
2.	चल संपत्ति	:	33.00/- लाख रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम सिकोला, प. ह. नं. 8 स्थित भूमि खसरा नम्बर 175/1 का टुकड़ा एवं 173/1 का टुकड़ा रकबा 0.264 हे. अनुमानित कीमत 5,20,000-00, खसरा नम्बर 173/6 का टुकड़ा रकबा 0.258 हे. अनुमानित कीमत 3,60,000-00, खसरा नं. 173/7 का टुकड़ा रकबा 0.258 हे. अनुमानित कीमत 3,60,000-00.

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

प्रारूप क्रमांक-4
[देखिये नियम-5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 2197/प्र. 2/अ. वि. अ./2011.— यत: कि श्री दर्शनलाल आ. नानूमल ठाकवानी, निवासी क्वा. नं. 673, गुरूनानक नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग, मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा "संत कंवर राम भक्ति तीर्थ ट्रस्ट दुर्ग" के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 28-11-2011 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता.	:	संत कंवर राम भक्ति तीर्थ ट्रस्ट दुर्ग, क्वा. नं. 673, गुरूनानक नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग
2.	चल संपत्ति	:	21,000-00/- रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.